मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5432 सत्र फरवरी–मार्च 2018 (सीमेन्ट कांक्रीट निर्माण)

परिशिष्ट–अ

	का नाम	निकाय का नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	तकनीकी स्वीकृति प्रदानकर्ता	तकनीकी स्वीकृति राशि रू लाख में प्रथम स्तरीय	तकनीकी स्वीकृति पत्र क./दिनांक	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सतना	न.परि. नागौद	वार्ड क. 04 में फुटबाल स्टेडियम में सीमेन्ट कांक्रीट सीढ़ी का निर्माण	विधायक निधि/निकाय निधि	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा	14.71	1953/02.12.2016	21.11.2017	तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रीवा एवं शहडोल संभाग, रीवा (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Superintendent Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal

Page 2

परिशिष्ट – अ – 2

ANX (2)

दाखिलात 5432

संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / या.प्र / तक.स्वी / 2016 / 1953 रीवा दिनांक 02-12-2016

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद नागौद
जिला सतना (म0प्र0)

विषयः– प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र0 554 दिनांक 25.11.2016

–––000–––

विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित निर्माण कार्य के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। प्राक्कलन म0प्र0 न0प्र0 एवं विकास विभाग के आई.एस.एस.आर. दि. 10.05.2012 से प्रभावशील एस.ओ.आर. पर बनाया गया है जिसकी **प्रथम स्तरीय** तकनीकी स्वीकृति, निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं।

क्र0	कार्य का नाम व स्थल	मद	तक. स्वी. की राशि लाख में
1	2	3	4
	प्रथम स्तरीय (Stage- I)		
1.	निकाय क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्र0 4 में फुटवाल स्टेडियम में सीमेंट कांक्रीट की सीढ़ी का निर्माण कार्य।	शासन अनुदान / निकाय निधि	14,71,535.00

नोटः–

1. प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यास के अनुरूप विस्तृत प्राक्कलन , वर्किंग ड्राइंग एवं डिजाइन प्रस्तुत करें।
2. म0प्र0 न0पा0 (प्रेसीडेंट इन–कौंसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर, म0प्र0 न0पा0 लेखा नियम 1971 का पालन करते हुये कार्य कराया जावे तथा नियम 5 उपनियम 2(5) (ग्यारह) के प्रावधान अनुसार निविदाओं का समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे एवं रू. 1.00 लाख से अधिक की राशि के कार्यो की निविदाओं को विभाग की वेबसाईट (www.mpurban.gov.in, http://uadd.mpeprocurement.gov.in पर भी अपलोड कराया जावें।
3. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Foundation की मिट्टी की भार वहन क्षमता (Soil Bearing Capacity Test) का परीक्षण शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जावे। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भवन की संरचना (Design) सक्षम Structural Engineer से करवाई जाकर डिजाईन ड्रॉईंग का सक्षम अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावे। ड्राइंग–डिज़ाइन में भूकम्प अवरोधी तकनीक का समावेश किया जावे।
4. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
5. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे।
6. पूर्व में जारी तकनीकी स्वीकृति की प्रति इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जावे।
7. प्राक्कलन एवं डिजाइन इंजीनियरिंग कालेज से Approved कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नागौद
जिला सतना (म0प्र0)

Superintendent Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Building